


जिला शिक्षा अधीक्षक -सह-नोडल पदाधिकारी (RTE CELL) बोकारो ।

आम सुचना

निदेशक प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची का पत्रांक 1466 दिनांक-14.12.2020 के आलोक में सत्र - 2022-23 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)C के तहत गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के अंतर्गत विद्यालयों के आस-पास के रूप में निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दिया जाना है, चूँकि कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के काफी बच्चे इस अधिनियम के तहत प्रदत्त लाभ से वंचित रह जा रहे हैं ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र / आवासीय प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र (परिवार की सभी स्रोतों की वार्षिक आय 72,000 से कम हो) की अनिवार्यता होगी जिससे अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का चयन नियमानुसार हो सके ।


जिला शिक्षा अधीक्षक -सह -
नोडल पदाधिकारी (RTE CELL) बोकारो !
20/01/2022


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी,
(RTE CELL) बोकारो ।


कार्यालय आदेश

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)C के अंतर्गत जिले के सभी कोटि के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश कक्षा की कुल सामर्थ्य संख्या के 25% (न्यूनतम) सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु आवेदन दो प्रति में दिनांक 24.01.2022 से 03.02.2022 तक जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो के कार्यालय में पूर्वाहन 11:30 बजे से अपराहन 04:00 बजे तक सीधे-सीधे स्वीकार की जा सकेगी ।

आवेदन प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना 237, दिनांक - 16.02.2016 में संलग्न अनुलग्नक 01 के निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ नियमानुसार आवश्यक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए जमा किया जा सकता है । आधार कार्ड की पूर्ण मूल प्रति की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति ही मान्य होगी । अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/एक से अधिक विद्यालयों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसके विरुद्ध भविष्य में किसी भी आपत्ति/दावा को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा ।

आवेदन केवल संबंधित बच्चे के माता/पिता/अभिभावकों के द्वारा ही हार्थों-हाथ स्वीकार किया जा सकेगा ।


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
नोडल पदाधिकारी, (RTE CELL) बोकारो


20/01/2022